# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 239/2024

| प्रार्थीया | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. भावना कुमावत पुत्री श्याम मुरारी जाति कुमावत निवासी सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली हाल निवासी रामनगर, खारिया कुचामन सिटी जिला डीडवाना राज0। | | 1. भंवरलाल पुत्र सोनाराम जाति सुथार निवासी दुदोड़ तह0 मा0ज0 जिला पाली राज0 हाल निवासी 332/12, 11th manin, BSK Ist stage, 2nd Block Hanuman nagar, Bangalore<br>2. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली। |

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

**उपस्थितिः–**

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
2. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उप0।

दिनांक 23/07/2025

**–: निर्णय :–**

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा नाथलकुण्डी तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 307/220 रकबा 0.2430 हैक्टर की स्थित है तथा प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के पड़ौस में ग्राम खोखरा की राजस्व सीमा तथा अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 608 रकबा 0.9950 हैक्टर हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि नेशनल हाईवे सोजत से चण्डावल जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम किया हुआ है, प्रार्थीया वर्तमान में रामनगर, खारिया कुचामन सिटी में निवासरत है। अप्रार्थी संख्या 01 की खरीदसुदा औद्योगिक भूमि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस में आई हुई स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि सरहद ग्राम नाथलकुण्डी में तथा अप्रार्थी संख्या 01 की औद्योगिक भूमि खसरा संख्या 608 ग्राम खोखरा की सरहद में आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि को शामिल लेते हुए मौके पर दिवार का निर्माण कार्य करवा दिया गया है, जिसकी जानकारी प्रार्थीया को होने पर प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सोजत के समक्ष पेश किया गया, तहसीलदार, सोजत के आदेशानुसार पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा दिनांक 04/04/2023 को प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 307/220 का सीमाज्ञान किया, उक्त सीमाज्ञान से पता चला कि अप्रार्थीया संख्या 01 के द्वारा प्रार्थीया की कृषि भूमि में दीवार बना दी गई है। जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थी की भूमि के बीच की माठ को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गये। प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि की माठ नाप चौक करवाकर स्थायी करवाना चाहती है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा दिवार का निर्माण कार्य कर देने से पेमाईश स्पष्ट रूप से नहीं हो सकी, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया पत्थर गढ्ढी के जरिये पेमाईश करवाना चाहती है, जिससे राजस्व सीमा का मौके पर स्थायी समाधान हो सके तथा प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि चारो तरफ नाप चौक करवा एवं स्थायी सीमाज्ञान करवाकर कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु तारबंदी करवा सके। ऐसी स्थिति में पत्थर गढ्ढी के जरिये पेमाईश करवाया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा नाथल कुंडी के खसरा नंबर 307/220 रकबा 0.2430 हैक्टर का पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगवाया जाकर सीमाज्ञान करने के आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पद क्रमांक एक सही होने के कारण स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का पद क्रमांक दो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक ने खसरा नंबर 608 क्षेत्रफल 0.9950 हैक्टर किस्म गै. मु. औद्योगिक प्रयोजनार्थ की भूमि मोहम्मद अनीश गौरी से दिनांक 24/04/2018 को जरिये विक्रय विलेख से खरीद की, तब उक्त खरीदशुदा भूमि के चारों ओर 500 रनींग मीटर बाउन्डरी की हुई थी। रनींग बाउन्डरी का उल्लेख विक्रय विलेख दिनांक 24/04/2018 में भी किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा भूमि खरीदने से करीबन 35 वर्ष पूर्व चारदीवारी बनी हुई थी तथा अप्रार्थी संख्या एक ने उसी खसरा नंबर की भूमि को खरीद की है। इसके अलावा दो गावों की सरहद मिलती है जिस कारण से भी प्रार्थीया द्वरा करवाया गया सीमांकन सही नहीं है क्योंकि दो गांवों की सरहद मिलती है, जिसका नापचौक सेटलमेंट विभाग की टीम से करवाना चाहिए था जिसरो मांठ की स्थिति स्पष्ट हो जाती। प्रार्थना पत्र का पद क्रमांक तीन गलत एवं मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। पद में वर्णित कथन की दिवार का निर्माण कार्य अप्रार्थी संख्या एक ने करवाया वो गलत एवं मिथ्या है। विक्रय विलेख दिनांक 24/04/2018 में स्पष्ट उल्लेख है कि दीवार पूर्व में बनी हुई थी वो अप्रार्थी संख्या एक के विरुद्ध मिथ्या कथन करना गलत है। प्रार्थीया की भूमि नेशनल हाइवे पर स्थित है जिस पर किसी प्रकार की खेती नहीं करवायी जा सकती है। प्रार्थना पत्र का पद क्रमांक चार गलत है। प्रार्थीया के पास समुचित भूमि है जिस पर वो तारबंदी कर सकती है। प्रार्थना पत्र का पद क्रमांक पांच गलत, मिथ्या एवं मनगंढत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया को तारबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रार्थीया की भूमि कृषि योग्य नहीं है तथा न ही वहां पर कोई पिलाई की सुविधा है तथा न ही विद्युत सुविधा है। इसलिए कृषि करने की बाते गलत एवं मिथ्या है।

**विशेष कथन :–** प्रार्थीया की भूमि नाथलकुण्डी एवं अप्रार्थी की भूमि खोखरा की सरहद में स्थित है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में किसी प्रकार का अंकन नहीं है कि मुस्तकील पांइट किसको मान कर्स्त रिपोर्ट बनाई है, उसका कोई उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। इस कारण से मौका फर्द आधार हीन है। मौका फर्द की रिपोर्ट में किस खसरा नंबर पर जरीब चला करके रिपोर्ट बनाई है उसका कोई उल्लेख नहीं है। जिस कारण से भी भीका फर्द आधारहीन व तथ्यहीन है। मौका फर्द प्रार्थीया ने प्रस्तुत की उस पर प्रार्थीया के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही अप्रार्थी की उपस्थिति में रिपोर्ट बनाई है एक पक्षीय आधारहीन रिपोर्ट बनाई है, जो प्रथम दृष्ट्या खारीज होने योग्य है। मौका फर्द रिपोर्ट दो गांवों के सरहद की रिपोर्ट है लेकिन खोखरा पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर है। इस कारण से ऐसी रिपोर्ट पर किसी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता हैं। मौका फर्द में अंकित किया है खोखरा के खातेदार द्वारा चारदीवारी बनाई लेकिन खातेदार कौन है ? तथा कौन से खसरा नंबर की भूमि है ? जो स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थीया ने किस आधार पर ये कार्यवाही की है? जो विधिक रूप से मानने योग्य नहीं है। मौका फर्द में अप्रार्थी के नाम का किसी प्रकार से उल्लेख नहीं है इस कारण से भी मौका रिपोर्ट प्रथम दृष्ट्या खारीज होने योग्य हैं। इस प्रकार जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध झुठी एवं मनगढंत कार्यवाही प्रस्तुत की है जिसे निरस्त फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। अप्रार्थी सं0. 02 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत मे खसरा नंबर 409 रकबा 0.6100 हैक्टर भूमि का सीमाकंन हेतु पुलिस इमदाद की सहायता से मौके पर पत्थर गड्डी के जरिये मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने खसरा नंबर 608 क्षेत्रफल 0.9950 हैक्टर किस्म गै. मु. औद्योगिक प्रयोजनार्थ की भूमि

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मोहम्मद अनीश गौरी से दिनांक 24/04/2018 को जरिये विक्रय विलेख से खरीद की, तब उक्त खरीदशुदा भूमि के चारों ओर 500 रनींग मीटर बाउन्डरी की हुई थी। रनींग बाउन्डरी का उल्लेख विक्रय विलेख दिनांक 24/04/2018 में भी किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा भूमि खरीदने से करीबन 35 वर्ष पूर्व चारदीवारी बनी हुई थी तथा अप्रार्थी संख्या एक ने उसी खसरा नंबर की भूमि को खरीद की है तथा मौका फर्द में अंकित किया है खोखरा के खातेदार द्वारा चारदीवारी बनाई लेकिन खातेदार कौन है ? तथा कौन से खसरा नंबर की भूमि है ? जो स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थीया ने किस आधार पर ये कार्यवाही की है? जो विधिक रूप से मानने योग्य नहीं है। मौका फर्द में अप्रार्थी के नाम का किसी प्रकार से उल्लेख नहीं है इस कारण से भी मौका रिपोर्ट प्रथम दृष्ट्या खारीज होने योग्य हैं। अतः प्रार्थीया का उक्त प्रा0पत्र कतई स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार सीमांकन हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा ख.नं0 307/220 रकबा 0.2430 का सीमांकन करवाया गया तथा उक्त खसरा नंबर पर मौके पर खोखरा के खातेदार द्वारा चारदीवारी कर कब्जा किया हुआ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा पत्रावली में प्रस्तुत उक्त ख0नं0 307/220 के पड़ौसी ख0नं0 608 का गुगल सुपर इंपोज नक्शे में भी मौके एवं राजस्व नक्शे में सीमाओं में भिन्नता होना स्पष्ट होता हैं। अतः प्रस्तुत दस्तावेज तथा बहस वकुलाय के आधार पर माफिक ईश्तदुआ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा नाथल कुंडी के खसरा नंबर 307/220 रकबा 0.2430 हैक्टर की कृषि भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

**—: आदेश :—**

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा नाथल कुंडी के खसरा नंबर 307/220 रकबा 0.2430 हैक्टर की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 23/07/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

( मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत